सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
093 / 2017	दावा 88 RTA	11.09.2017	20.11.2017

ज्याना उर्फ जानकी पत्नी स्वर्गीय पूर्णाराम जाति जांगिड़ निवासिनी ग्राम सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादिनी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. जानकी पत्नी स्वर्गीय नत्थू जाति जांगिड़ निवासिनी ग्राम सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. बिरजलाल
4. रामगोपाल
5. रिछपाल
6. सावित्री
7. रतना

(3 से 7) पुत्र–पुत्रीगण स्वर्गीय पूर्णाराम जाति जांगिड़ निवासीगण सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणात्मक खातेदारी एवं दुरूस्ती रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादिनी
2. अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान प्रतिवादी सं. 3 से 7

निर्णय

वकील वादिनी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही मौजा सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू में स्थित है जो कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है। यह कि कृषि भूमि ख.नं. हाल 50 पुराना ख.नं. 26 तादादी 22 बीघा 6 विश्वा रोही मौजा सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू जो कि वादिनी के ससुर चन्द्राराम के नाम की खातेदारी की थी जिनकी मृत्यु के पश्चात् उसके दो पुत्रों स्वर्गीय नत्थू व पूर्णाराम को प्राप्त हुई, वादिनी की शादी नत्थू से हुई थी और शादी के कुछ समय बाद नत्थू की निःसन्तान आकस्मिक मृत्यु हो गई, फिर वादिनी ने अपने देवर पूर्णाराम से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी (चूड़ा पहनना) कर ली बतौर पति–पत्नी के जीवनयापन करते रहे और पूर्णाराम के नुत्फे से तीन पुत्र दो पुत्रियां पैदा हुई। वादिनी के परिवार का कुर्सीनामा नीचे लिखे अनुसार है–

चन्द्राराम के दो पुत्र नत्थू व पूर्णाराम हुए जिन दोनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से नत्थू लाऔलाद फौत हो चुका है एवं पूर्णाराम के वारिसान में ज्याना उर्फ जानकी पत्नी, रामगोपाल, रिछपाल बिरजाराम पुत्रगण व रतना, सावित्री पुत्रियां मौजूद हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि वादिनी के पूर्व पति नत्थू का स्वर्गवास होने पर इस कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल वादिनी के नाम दर्ज हो गया था और वादिनी का नाम राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व गलती के कारण जानकी दर्ज कर दिया गया जबकि सही नाम ज्याना है वादिनी ज्याना एवं प्रतिवादिनी संख्या 2 जानकी एक ही महिला खातेदार काश्तकार वादिया का नाम है जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से व वादिया के हिस्से की खातेदारी अकेली वादिया के नाम से दर्ज कर उसकी खातेदारी घोषित की जावे तथा ऐसी घोषणा किये जाने हेतु यह दावा हर प्रकार के आधारों पर पेश किया जा रहा है। यह कि वादिनी के पति नत्थू का स्वर्गवास सम्वत् 2013 में हो गया था और जिसका इन्तकाल सं. 9 है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2012–2015 में नोट लगा है और नत्थू की निःसन्तान आकस्मिक मृत्यु के बाद वादिनी ने अपने देवर पूर्णाराम से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार चूड़ा पहनकर शादी कर ली थी जिस कारण सम्पूर्ण कृषि भूमि में नत्थू के हिस्से की भूमि 1/2 हिस्सा वादिनी जानकी उर्फ ज्याना (जानकी पत्नी नत्थू) के नाम दर्ज हो गया मगर जब पूर्णाराम फौत हो गया तो उक्त कृषि भूमि पूर्णाराम के वारिस तीन पुत्र व दो पुत्रियां एवं वादिनी स्वयं पत्नी के नाम उक्त कृषि भूमि की 1/2 हिस्से का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज हो गया जो ज्याना के नाम से भी दर्ज हो गया है मगर वादिनी जानकी उर्फ ज्याना एक ही महिला है जो उक्त कृषि भूमि में ज्याना पत्नी पूर्णा 1/12 हिस्सा व जानकी पत्नी नत्थू 1/2 हिस्सा दर्ज है। ज्याना उर्फ जानकी एक ही महिला के नाम हैं ज्याना का ही घरेलू व बोलचाल का नाम जानकी है। जानकी पत्नी नत्थू नाम की अन्य कोई महिला नहीं है। जिस कारण उक्त राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम व हिस्सेदारी दुरूस्त कर अमल दरामद की जावे।

यह कि वादिनी के सभी दस्तावेज में ज्याना ही नाम दर्ज है जिसके प्रमाण स्वरूप उसके निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये जा रहे हैं:–

1. वोटर पहचान पत्र
2. वोटरलिस्ट 2014 (क्रम संख्या 414)
3. राशन कार्ड दिनांक 10.08.2001 कार्ड सं. 657
4. राशन कार्ड दिनांक ..... कार्ड सं. 209
5. राशन कार्ड कार्ड सं. 00332
6. आधार कार्ड

उक्त दस्तावेजात में वादिनी का नाम ज्याना है जो कि अपने पूर्व पति नत्थू की निःसन्तान आकस्मिक मृत्यु के बाद अपने देवर पूर्णाराम से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार चूड़ा पहनकर शादी (नाता) कर ली थी नत्थू से विवाह करने के कारण नत्थू की मृत्यु के पश्चात् उसके 1/2 हिस्से की खातेदारी ज्याना के हिस्से में आ गई जिसमें उसकी खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में जानकी पत्नी नत्थू नाम से अंकन हो गया जिसके प्रमाण स्वरूप ग्राम पंचायत सहनाली छोटी के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है जिस कारण नत्थू का हिस्सा ज्याना के हिस्से में आ गया मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से जानकी नाम गलत अंकन हो गया था जिसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है इसलिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादिनी को सरकारी योजना, किसान केडिट कार्ड, ऋण लेने आदि व अन्य योजनाओं के वक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहती है वादिनी के वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटरलिस्ट आदि दस्तावेजात में वादिनी का ज्याना नाम है इसलिए इन सब कार्यो के लिए वादिनी को अपना सही नाम ज्याना राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया जाना आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
घूरू

हो गया है इसलिए वादिनी को यह दावा पेश कर रिकार्ड में नाम व हिस्सा दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। यह कि दावा डिक्री होने पर रिकार्ड दुरूस्ती तहसीलदार, चूरू के माध्यम से होना है इसलिए दावा में राजस्थान सरकार को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वालाल कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व 80 जा0दी0 के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि वादिनी की उक्त वादगत कृषि भूमि में वादिनी का दोनों हिस्सों में ज्याना नाम दर्ज किया जावे एवं दुरूस्त किया जावे और दोनों हिस्से की हिस्सेदारी वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर घोषित किया जावे। वादिया को अपने उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में गलती का पता के0सी0सी0 बनवाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी व अन्य कागजात प्राप्त करने पर सर्वप्रथम दिनांक 21.08.2017 को जानकारी हुई। जानकारी दिनांक 21.08.2017 से वादिनी को बिनाय मुखास्मत दावा प्राप्त है। वादिनी को भूमि मजकूर की खातेदारी काश्तकारी हासिल होने से भी बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत प्राप्त है। यह कि वादिनी व प्रतिवादीगण का निवास स्थान वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं जिस कारण दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर समय हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि वादिनी ज्याना का कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा जानकी पत्नी नत्थू व 1/12 हिस्सा ज्याना पत्नी पूर्णाराम है जो समस्त हिस्सा ज्याना के नाम दर्ज किया जावे। इसी मुताबिक राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने वाद हो जाये वो भी वादिनी को दिलवाया जावे।

वादिनी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये एवं प्रतिवादी सं. 2 के सम्मन पर अंकित आया कि जानकी उर्फ ज्याना पूर्णाराम की विवाहिता है, इस नाम की कोई महिला नहीं है। जानकी उर्फ ज्याना एक ही महिला है जो कि जानकी उर्फ ज्याना अपने पति नत्थूराम की मौत होने के कारण अपने देवर पूर्णाराम से चूड़ा पहन लिया, जानकी उर्फ ज्याना एक है, इनका नाम ज्यानादेवी है। नोटिस खुद ने प्राप्त किया होना अंकित है। अतः वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 2 का एक ही होना माना गया। प्रतिवादी सं. 3 से 7 की ओर से श्री सिकन्दर खान एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जवाबदावा इकबालदावा के रूप में पेश किया जिसकी प्रति वकील वादिनी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज ने जवाबदावा हेतु समय चाहा जिस पर उन्हें अवसर दिया गया।

प्रतिवादी सं. 3 से 7 की ओर से पेश इकबालिया जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 4 व 6 सही होने से स्वीकार की जाती है तथा मद सं. 5 में वर्णित दस्तावेजात जो प्रमाणित व सरकारी दस्तावेजात हैं जिस कारण मद सं. 5 के जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि मद सं. 7 व 9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 8 में वर्णित तथ्य सही हाने व जानकारी का तथ्य वादिनी को स्वयं को प्रमाणित करने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। वाद की मद सं. 9 के उपमदात में वर्णित तथ्यों के अनुसर अनुतोष वादिनी प्राप्त करने की अधिकारिणी है यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण भी स्वर्गीय पूर्णाराम की जायन्दा सन्तान हैं जिस कारण उनका हिस्सा राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत रखा जावे।

प्रतिवादी सं. 3 से 7 ने अपने विशेष कथन में अंकित किया कि कृषि भूमि ख.नं. हाल 50 पुराना 26 तादादी 22 बीघा 6 विश्वा रोही मौजा सहनाली छोटह तहसील व जिला चूरू (राज0) जो कि हमारी माता वादिनी के ससुर व हमारे दादा चन्द्राराम के नाम की खातेदारी की थी जिनकी मृत्यु के पश्चात् उसके दो पुत्रों स्वर्गीय नत्थू व पूर्णाराम को प्राप्त हुई, वादिनी की शादी स्वर्गीय नत्थू से हुई थी और शादी के कुछ समय बाद नत्थू की निःसन्तान आकस्मिक मृत्यु हो गई, फिर वादिनी ने अपने देवर पूर्णाराम से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी (चूड़ा पहनना) कर ली बतौर पति–पत्नी के जीवनयापन करते रहे और वादिनी व हमारे पिता पूर्णाराम के नुत्फे से हम तीन पुत्र व दो पुत्रियां पैदा हुई। यह कि हमारी माता वादिनी के पूर्व पति नत्थू का स्वर्गवास होने पर इस कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल हमारी माता वादिनी के नाम दर्ज हो गया था और वादिनी का नाम राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व गलती के कारण जानकी दर्ज कर दिया गया जबकि हमारी माता वादिनी का सही नाम ज्याना है ज्याना एवं प्रतिवादी संख्या 2 जानकी हमारी माता है जो कि एक ही महिला खातेदार काश्तकार वादिया का नाम है। हमारी माता वादिनी के पति नत्थू का स्वर्गवास सम्वत् 2013 में हो गया था और जिसका इन्तकाल सं. 9 है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2012–2015 में नोट लगा है और नत्थू की निःसन्तान आकस्मिक मृत्यु के बाद हमारी माता वादिनी ने अपने देवर हमारे पिता पूर्णाराम से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार चूड़ा पहन कर शादी कर ली थी जिस कारण सम्पूर्ण कृषि भूमि में नत्थू के हिस्से की भूमि 1/2 हिस्सा हमारी माता वादिनी जानकी उर्फ ज्याना (जानकी पत्नी नत्थू) के नाम दर्ज हो गया मगर जब हमारे पिता पूर्णारा फौत हो गये तो उक्त कृषि भूमि हम वारिसान तीन पुत्र व दो पुत्रियां एवं हमारी माता वादिनी स्वयं के नाम उक्त कृषि भूमि की 1/2 हिस्से का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज हो गया जो ज्याना के नाम दर्ज हो गया है, मगर वादिनी जानकी उर्फ ज्याना एक ही महिला है जो उक्त कृषि भूमि में ज्याना पत्नी पूर्णाराम 1/12 हिस्सा व जानकी पत्नी नत्थू 1/2 हिस्सा दर्ज है। जानकी उर्फ ज्याना एक ही महिला के नाम हैं ज्याना का ही घरेलू व बोलचाल का नाम जानकी है। जानकी पत्नी नत्थू नाम की अन्य कोई महिला नहीं है। जिस कारण उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम व हिस्सेदारी दुरूस्त कर अमल दरामद की जावे जिस बाबत दावा में चाहा गया अनुतोष यदि हमारी माता वादिनी को प्राप्त होता है तो हम पक्षकारान को कोई उजर व आपत्ति नहीं होगी। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि वाद वादिनी स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण पूर्णाराम की जायन्दा सन्तान होने के कारण बनने वाले हिस्से को भी राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक रखा जावे एवं खर्चा दावा प्रतिवादीगण को वादिनी से दिलवाया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार राज की ओर से संक्षिप्त जवाबदावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि जानकी उर्फ ज्याना ने नत्थू से शादी की, नत्थू के मरने के बाद चूड़ा अपने देवर पूर्णाराम का पहना था। ग्राम पंचायत सरपंच व कुर्सीनामा के अनुसार वादिनी व प्रतिवादी सं. 2

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

एक ही है। वादिनी के नाम खातेदारी में नाम संशोधन किया जाता है तो राजस्व में कोई हानि नहीं होती है।

दावा के समस्त प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने पर तनकियात कायम की जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत रखी गई जिस पर साक्ष्यवादी में गवाह ज्याना उर्फ जानकी पत्नी स्व. पूर्णाराम ने उपस्थित आकर साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 पेश किये एवं अपने बयान दर्ज करवाये एवं पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 से 6 डलवाये गये। वकील प्रतिवादीगण द्वारा गवाह से जिरह नहीं करने का कथन करने से जिरह शून्य रही। वादीगण के और साक्ष्य पेश नहीं करने एवं प्रतिवादीगण के साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

वादिनी द्वारा पेश दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में दावा एवं इकबाल जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिनी व प्रतिवादी सं. 2 ज्याना उर्फ जानकी एक ही महिला है। इसलिए दावा पर पेश दस्तावेजात के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही मौजा सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज जानकी पत्नी नत्थू 1/2 हिस्सा व ज्याना पत्नी पूर्णाराम 1/12 हिस्सा को ज्याना पत्नी पूर्णाराम के नाम दर्ज किया जावे जिसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई उजर या आपत्ति नहीं है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा, जवाबदावा, पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, कुर्सीनामा स्व. पूर्णाराम एवं स्व. नत्थूराम के पत्नी के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होने का प्रमाण पत्र द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सहनाली छोटी, आधार कार्ड सं. 587001134697 ज्याना पत्नी पूर्णाराम, राशन कार्ड सं. 657 व 007053600478, 209, 332, मतदाता पहचान पत्र सं. RJ/03/020/498540, मतदाता सूची भाग सं. 162 क्रम सं. 414 आदि एवं वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादिनी ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 50 रोही ग्राम सहनाली छोटी में दर्ज जानकी पत्नी नत्थू व ज्याना पत्नी पूर्णाराम को एक ही महिला खुद को बताते हुए दोनों हिस्सों की खातेदार अपने यानि ज्याना पत्नी पूर्णाराम के नाम अंकित करवाने का अनुतोष चाहा है जिसके लिए वादिनी ने दावा में अंकित किया है कि उसके ससुर चन्द्राराम के दो पुत्र नत्थू व पूर्णाराम हुए जिनमें से नत्थू से वादिनी की शादी हुई परन्तु शादी के कुछ समय बाद ही नत्थू की निःसन्तान मृत्यु हो जाने पर उसके 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल गलत रूप से वादिनी यानि जानकी पत्नी नत्थू के नाम दर्ज हो गया, जबकि वादिनी का सही नाम ज्याना है। वादिनी के पति नत्थू की मृत्यु हो जाने पर वादिनी ने अपने देवर पूर्णाराम से चूड़ा पहन कर नाता कर लिया एवं पूर्णाराम के नुत्फे से उसके तीन पुत्र व दो पुत्रियां उत्पन्न हुई जो दावा में प्रतिवादी सं. 3 से 7 हैं। बाद में वादिनी के द्वितीय पति पूर्णाराम की मृत्यु हो जाने पर उसके 1/2 हिस्से में पूर्णाराम के समस्त जायज वारिसान के 1/12, 1/12 हिस्सा दर्ज हुआ है जिसमें से वादिनी ज्याना के 1/12 हिस्सा वर्तमान में दर्ज है। उक्त हिस्से में वादिनी का सही नाम दर्ज हुआ है। उक्त दोनों हिस्सों में दर्ज महिला जानकी व ज्याना एक एक ही महिला वादिनी स्वयं है। अतः दावा स्वीकार फरमाया जावे। दावा के समस्त प्रतिवादीगण ने वादिनी के दावा में अंकित समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम सहनाली छोटी के ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर में वर्तमान में ज्याना पत्नी पूर्णाराम 1/12 हिस्सा, जानकी पत्नी नत्थू 1/2 हिस्सा, बिरजलाल पुत्र पुरणाराम 1/12 हिस्सा, रतना पुत्री पुरणाराम 1/12 हिस्सा, रामगोपाल पुत्र पुरणाराम 1/12 हिस्सा, रिछपाल पुत्र पुरणाराम 1/12 हिस्सा, सावत्री पुत्री पुरणाराम 1/12 हिस्सा जाति जांगिड़ निवासी सहनाली छोटी खातेदार दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी में जानकी पत्नी नत्थू के 1/2 हिस्सा को वादिनी अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है। जमाबन्दी सम्वत् 2010 के ख.नं. 26 जिससे वर्तमान ख.नं. 50 बना है, में उक्त कृषि भूमि चन्दरा वल्द हरीकिशन कौम खाती जांगिड़ के नाम दर्ज है। जागीर आय जमाबन्दी 2010 के ख.नं. 26 में चन्दरा वल्द हरीकिशन खातेदार एवं पुरण वल्द चन्दरा काश्तकार दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 के ख.नं. में जानकी बेवाह नत्थू व पूर्ण वल्द चन्द्रा ब हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी के विशेष विवरण के कॉलम में इन्तकाल सं. 9 अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 में भी उक्त खातेदारान अंकित हैं। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 के अनुसार ग्राम सहनाली का वादग्रस्त वर्तमान ख.नं. 50 पुराने ख.नं. 26 से बनना अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत सहनाली छोटी द्वारा जारी कुर्सीनामा स्व. पूर्णाराम में उसके वारिसान में ज्याना उर्फ जानकी पत्नी, रामगोपाल, रिछपाल, बिरजूराम, रतना, सावत्री पुत्र–पुत्रियां दर्ज हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसमें अंकित है कि नथूराम पुत्र चन्द्राराम जाति जांगिड़ निवासी सहनाली छोटी तहसील एवं जिला चूरू का है जिनकी धर्मपत्नी जानकी उर्फ ज्याना है और नथूराम के फौत हो जाने के बाद उनकी बेवा ज्याना ने अपने देवर पूर्णाराम पुत्र चन्द्राराम से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार नाता कर लिया और नथूराम के कोई वारिस नहीं है। पूर्णाराम के नुत्फे से पूर्णाराम के जायज वारिस पैदा हुए। अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची आदि में भी वादिनी का नाम ज्याना अंकित है। साक्ष्यवादी में वादिनी ने अपने दावा में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिवादीगण द्वारा न तो जिरह की गई है एवं न ही प्रतिवादी साक्ष्य पेश किये हैं बल्कि उन्होंने इकबाल दावा पेश कर वादिनी का दावा स्वीकार करने का निवेदन किया है। पैरोकार राज ने दावा स्वीकार करने से किसी प्रकार की राजकीय हानि नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार दावा वादिनी उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजात एवं बयानात् के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर मनन के बाद यह प्रमाणित होता है कि ग्राम सहनाली छोटी के पुराने खसरा नं. 26 की खातेदारी पूर्व में वादिनी के ससुर चन्द्राराम की खातेदारी कृषि भूमि रही है। चन्द्राराम के फौत होने पर यह भूमि चन्द्राराम के दो पुत्रों नत्थूराम व पूर्णाराम के नाम बराबर बराबर हिस्सा में दर्ज हुई। वादिनी ज्याना उर्फ जानकी की शादी पहले नत्थू से हुई परन्तु शादी के कुछ समय बाद ही नत्थू की आकस्मिक निःसन्तान मृत्यु हो गई जिस पर उसके 1/2 हिस्से में उसकी एकमात्र जायज वारिस पत्नी जानकी का नाम अंकित हो गया जबकि जानकी नाम तो वादिनी ज्याना का आम बोलचाल में रहा है जिसका कि उल्लेख वादिनी ने अपने दावा व प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में भी किया है। नत्थू की मृत्यु हो जाने पर वादिनी ने अपने देवर पूर्णाराम से शादी (नाता) कर ली और पूर्णाराम के नुत्फे से उसके तीन पुत्र व दो पुत्रियां उत्पन्न हुए जो कि दावा में प्रतिवादी सं. 3 से 7 पक्षकार हैं। पूर्णाराम के फौत हो जाने पर उसके समस्त जायज वारिसान पत्नी व पुत्र–पुत्रियों के नाम पूर्णाराम के 1/2 हिस्से में बराबर बराबर 1/12–1/12 खातेदारी दर्ज हुई है जिसमें वादिनी का सही नाम ज्याना दर्ज हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त दस्तावेजात से जानकी पत्नी नत्थू व ज्याना पत्नी पूर्णाराम दोनों नाम एक ही महिला का

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा प्रमाणित होता है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी के दो नाम व पतियों का नाम अलग–अलग अंकित होने से वादिनी को के.सी.सी. व राजकीय कार्यों में काफी असुविधा होती है तथा वह अपनी खातेदारी कृषि भूमि के सम्पूर्ण हक अधिकारों व मिलने वाली राजकीय सहायता आदि से वंचित रहती है। इसलिए वादिनी ने यह दावा पेश किया है। वादिनी ने अपने दावा में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में कोई जवाब या साक्ष्य पेश नहीं कर अपना इकबाल जवाब पेश करते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया है। वादिनी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार है जिससे वह राजस्व अभिलेख में सहवन से अंकित गलत नाम को शुद्ध करवाने एवं अपने पूर्व पति के 1/2 हिस्से में अपने द्वितीय पति पूर्णाराम का ही नाम अंकित करवाना चाहती है। इसलिए न्याय की मूल भावना एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के मध्यनजर न्यायालय वादिनी के दावा को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में दावा वादिनी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि ख. नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही ग्राम सहनाली छोटी तहसील चूरू के राजस्व अभिलेख में अंकित जानकी पत्नी नत्थू 1/2 हिस्सा व ज्याना पत्नी पूर्णाराम 1/12 हिस्सा के स्थान पर वादिनी ज्याना पत्नी पूर्णाराम को 7/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा चारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू